

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 752(अ).—केंद्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित, उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (मस्ट-रन विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन का संवर्धन) नियम, 2021 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) "मध्यवर्ती क्रेता" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनी के बीच, या तो विभिन्न उत्पादकों से खरीदी गई विद्युत एकत्रित करने और इसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बेचने, या क्रेडिट प्रोफाइल बढ़ाने के लिए अपेक्षित एक मध्यस्थ कंपनी अभिप्रेत है।

(ग) "मस्ट रन विद्युत संयंत्र" से नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन मस्ट रन विद्युत संयंत्र माना गया, विद्युत संयंत्र अभिप्रेत है;

(घ) अभिव्यक्ति "क्रेडिट प्रोफाइल", "मेरिट ऑर्डर डिस्पैच", "डे अहेड मार्केट", "रियल टाइम मार्केट", "बकेट फिलिंग बेसिस" और "ट्रेडिंग मार्जिन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम की धारा 3 के अधीन बनाई गई राष्ट्रीय विद्युत नीति या टैरिफ नीति के अधीन उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस परिभाषा में हैं।

3. मस्ट रन विद्युत संयंत्र- (1) पवन, सौर, पवन-सौर हाइब्रिड या हाइड्रो विद्युत संयंत्र (अतिरिक्त पानी के कारण स्पिलेज की स्थिति में) या उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य स्रोत का विद्युत संयंत्र, जिसने विद्युत के विक्रय हेतु किसी व्यक्ति से करार किया हो, को एक मस्ट रन विद्युत संयंत्र माना जाएगा।

(2) मस्ट रन विद्युत संयंत्र मेरिट ऑर्डर डिस्पैच या किसी अन्य वाणिज्यिक कारण से विद्युत के उत्पादन या आपूर्ति में कटौती या विनियमन के अधीन नहीं होगा:

परन्तु विद्युत ग्रिड में किसी तकनीकी बाधा की स्थिति में या विद्युत ग्रिड की सुरक्षा के कारणों के लिए मस्ट रन विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत की कटौती या विनियमन किया जा सकता है:

परन्तु यह भी कि विद्युत की कटौती या विनियमन के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के उपबंधों का पालन किया जाएगा।

(3) मस्ट रन विद्युत संयंत्र से आपूर्ति में कटौती की स्थिति में, विद्युत की खरीद या आपूर्ति के लिए खरीदार द्वारा मस्ट रन विद्युत संयंत्र को करार में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिकर देय होगा।

(4) जहां, बिजली ग्रिड में किसी तकनीकी बाधा की स्थिति में या बिजली ग्रिड की सुरक्षा के कारणों के लिए, खरीदार डे अहेड मार्केट या रियल टाइम मार्केट या विद्युत एक्सचेंज में समय-समय पर शुरू किए गए किसी अन्य उत्पाद से पहले मस्ट रन विद्युत संयंत्र को कटौती के लिए नोटिस देता है, तो मस्ट रन विद्युत संयंत्र खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं की गई विद्युत को विद्युत एक्सचेंज में बेच देगा।

(5) विद्युत एक्सचेंज में विद्युत की ऐसी बिक्री से ऐसे मस्ट रन विद्युत संयंत्र द्वारा वसूल की गई राशि, विद्युत एक्सचेंज में बिक्री के लिए भुगतान किए गए वास्तविक खर्चों, यदि कोई हों, को काटने के बाद, उप-नियम (3) के अधीन खरीदार द्वारा देय प्रतिकर से समायोजित की जाएगी।

(6) प्रतिकर से संबंधित राशि की वसूली में किसी कमी का खरीदार द्वारा मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

(7) किसी महीने में विद्युत एक्सचेंज में विद्युत की बिक्री से वसूली गई किसी अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को आगे ले जाया जाएगा और अगले महीने या महीनों में समायोजित किया जाएगा।

(8) अतिरिक्त वसूल की गई राशि का अंतिम समायोजन, यदि कोई हो, तो मस्ट रन विद्युत संयंत्र द्वारा खरीदार को इसका भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक महीने के भीतर किया जाएगा।

4. वितरण अनुज्ञप्तिधारकों के लिए विद्युत खरीदने हेतु मध्यस्थ खरीदार- (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित अभिकरण, मध्यस्थ खरीदार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक या उससे अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को बिक्री के लिए विद्युत खरीद सकता है।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मध्यस्थ खरीदार को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, मस्ट रन विद्युत संयंत्र से विद्युत खरीदने और उसे एक या अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को बेचने वाला व्यापारी माना जाएगा।

(3) बकेट फिलिंग आधार पर बोली के मामले में, जहां बोली में विनिर्दिष्ट विद्युत की पूरी मात्रा को पूरा करने के लिए, सफल बोलीदाताओं के रूप में, अलग-अलग दरों पर, अनेक उत्पादक कंपनियों का चयन किया जाता है, तो उस बोली के लिए सभी चयनित बोलियों का भारित औसत परिणामी बोली दर होगी और मध्यस्थ खरीदार या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खरीदार को उक्त परिणामी बोली दर पर विद्युत की बिक्री की पेशकश की जा सकती है:

(4) उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट परिणामी बोली दर की रीति, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 63 के अधीन जारी दिशा-निर्देशों के तहत संचालित बोली प्रक्रिया में चयनित आपूर्तिकर्ताओं से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर आधारित विद्युत की बिक्री के लिए, इन नियमों के प्रारंभ से पहले, मध्यस्थ खरीदार और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के बीच किए गए करारों पर भी लागू होगा।

(5) उपयुक्त आयोग, मध्यस्थ खरीदार या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे आवेदन किए जाने पर, संबंधित पक्षों को सुनने के बाद भारित औसत टैरिफ को अपना सकता है।

(6) उपयुक्त आयोग वास्तविक के आधार पर टैरिफ की दर को वार्षिक आधार पर समायोजित करेगा।

(7) मध्यस्थ खरीदार को, इन नियमों के अधीन विद्युत की बिक्री से, करारों या विनियमों में विनिर्दिष्ट या उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किए अनुसार, केवल ट्रेडिंग मार्जिन बनाए रखने की अनुमति होगी।

[फा. सं. 23/18/2020-आरएंडआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

G.S.R. 752(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1), read with clause (z) of sub-section (2), of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Electricity (Promotion of Generation of Electricity from Must-Run Power Plant) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) “intermediary procurer” means an intermediary company, nominated by the Central Government or the State Government, between the distribution licensees and the generating company, required either to aggregate the purchased of electricity from different generators and sell it to the distribution licensee, or to enhance the credit profile;

(c) “must-run power plant” means a power plant, deemed to be a must-run power plant under sub-rule (1) of rule 3;

(d) the expressions “credit profile”, “merit order dispatch”, “day ahead market”, “real time market”, “bucket filling basis” and “trading margin” shall have the meanings respectively assigned to them under the National Electricity Policy or the Tariff Policy made under section 3 of the Act.

(2) The words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Must-run power plant.—(1) A wind, solar, wind-solar hybrid or hydro power plant (in case of excess water leading to spillage) or a power plant from any other sources, as may be notified by the Appropriate Government, which has entered into an agreement to sell the electricity to any person, shall be treated as a must-run power plant.

(2) A must-run power plant shall not be subjected to curtailment or regulation of generation or supply of electricity on account of merit order dispatch or any other commercial consideration:

Provided that electricity generated from a must-run power plant may be curtailed or regulated in the event of any technical constraint in the electricity grid or for reasons of security of the electricity grid:

Provided further that for curtailment or regulation of power, the provisions of the Indian Electricity Grid Code shall be followed.

(3) In the event of a curtailment of supply from a must-run power plant, compensation shall be payable by the procurer to the must-run power plant at the rates specified in the agreement for purchase or supply of electricity.

(4) Where, in the event of any technical constraint in the electricity grid or for reasons of security of the electricity grid, procurer gives the notice for curtailment to the must-run power plant in advance, prior to the start of the day ahead market or real time market or any other product introduced from time to time in the power exchange, the must-run power plant shall sell the electricity not scheduled by the procurer in the power exchange.

(5) The amount realised by such must-run power plant from such sale of electricity in a power exchange, after deducting actual expenses paid for the sale in the power exchange, if any, shall be adjusted against the compensation payable by the procurer under sub-rule (3).

(6) Any deficit in realisation of amount, with respect to the compensation shall be paid by the procurer on monthly basis.

(7) Any excess realisation of amount during a month from sale of electricity in a power exchange, if any, shall be carried forward and adjusted in the next month or months.

(8) The final adjustment of excess realisation of amount, if any, shall be paid by the must-run power plant to the procurer within one month of the close of the financial year.

4. Intermediary procurer to procure electricity for distribution licensees.—(1) The intermediary procurer, an agency nominated by the Central Government or State Government, may procure electricity through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government under section 63 of the Act for sale to one or more distribution licensees.

(2) The intermediary procurer referred to in sub-rule (1) shall be deemed to be a trader for the purposes of the Act, buying electricity from the must-run power plant and selling the same to one or more distribution licensees.

(3) In case of a bid on the bucket filling basis, where multiple generating companies, as successful bidders, are selected at different rates in order to meet the full quantum of electricity specified in the bid, the weighted average of all the selected bids shall be the resultant bid rate for that bid and power may be offered by the intermediary procurer or trading licensee for sale at the said resultant bid rate to the procurer:

(4) The manner of resultant bid rate specified under sub-rule (3), shall also be applicable to agreements entered into between the intermediary procurer and distribution licensees, prior to the commencement of these rules, for sale of electricity based on sources of renewable energy from suppliers selected in a bidding process conducted under the guidelines issued by the Central Government under section 63 of the Act.

(5) The Appropriate Commission, on application made to it by the intermediary procurer or distribution licensee, may adopt the weighted average tariff after hearing the parties concerned.

(6) The Appropriate Commission shall adjust the rate of tariff on annual basis based on the actuals.

(7) The intermediary procurer, from the sale of electricity under these rules, shall be allowed to retain only the trading margin as specified in the agreements or the regulations or as may be determined by the Appropriate Commission.

[F. No. 23/18/2020–R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.